मध्यप्रदेश

VOTE चोरी

प्रैस वार्ता

19 अगस्त 2025 | भोपाल

प्रिय साथियो,

माननीय राहुल गांधी जी द्वारा हाल ही में किए गए “वोट चोरी” के पर्दाफ़ाश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मध्यप्रदेश भी इस सुनियोजित चुनावी षड्यंत्र का बड़ा शिकार रहा है।

इस डिजिटल प्रस्तुति में हम ठोस आँकड़ों और रिकॉर्ड्स के आधार पर यह उजागर करेंगे कि मतदाता सूची में कैसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुईं — जैसे कम समय में असामान्य मतदाता-वृद्धि, मतदाता नाम काटने के रिकॉर्ड छिपाना, निर्वाचन आयोग के उलझे और विरोधाभासी आदेश, और लाखों डुप्लीकेट प्रविष्टियों पर चुप्पी।

हम आधिकारिक आदेशों, समय-आधारित आँकड़ों और उन 27 विधानसभा क्षेत्रों की तालिका भी साझा करेंगे, जहाँ कांग्रेस उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे, लेकिन वहाँ की मतदाता-वृद्धि उस हार से कहीं ज़्यादा रही।

यह सिर्फ़ आँकड़ों की बात नहीं है — यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हमारा संकल्प है कि जनता की इच्छा को चोरी होने से बचाया जाए।

मतदाता सूची में हेराफेरी की समय सीमा

दिनांक	घटना	कुल मतदाता संख्या	पिछली सूची से वृद्धि	सूची के बीच का अंतराल
05.01.2023	प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित	**5,39,87,876**	—	—
02.08.2023	द्वितीय संशोधित मसौदा सूची	**5,44,52,521**	**+4,64,645**	**7 महीने**
04.10.2023	अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित	**5,60,57,953**	**+16,05,432**	**2 महीने**

- **7 महीने में सामान्य वृद्धि – केवल 4.6 लाख**
- **सिर्फ़ 2 महीने में असामान्य वृद्धि – 16 लाख से ज़्यादा**

यही “वोट चोरी” का सबसे मज़बूत सबूत है।

डायग्राम के माध्यम से देखिए

सिर्फ़ 2 महीनों में 16 लाख से अधिक मतदाता बढ़े।

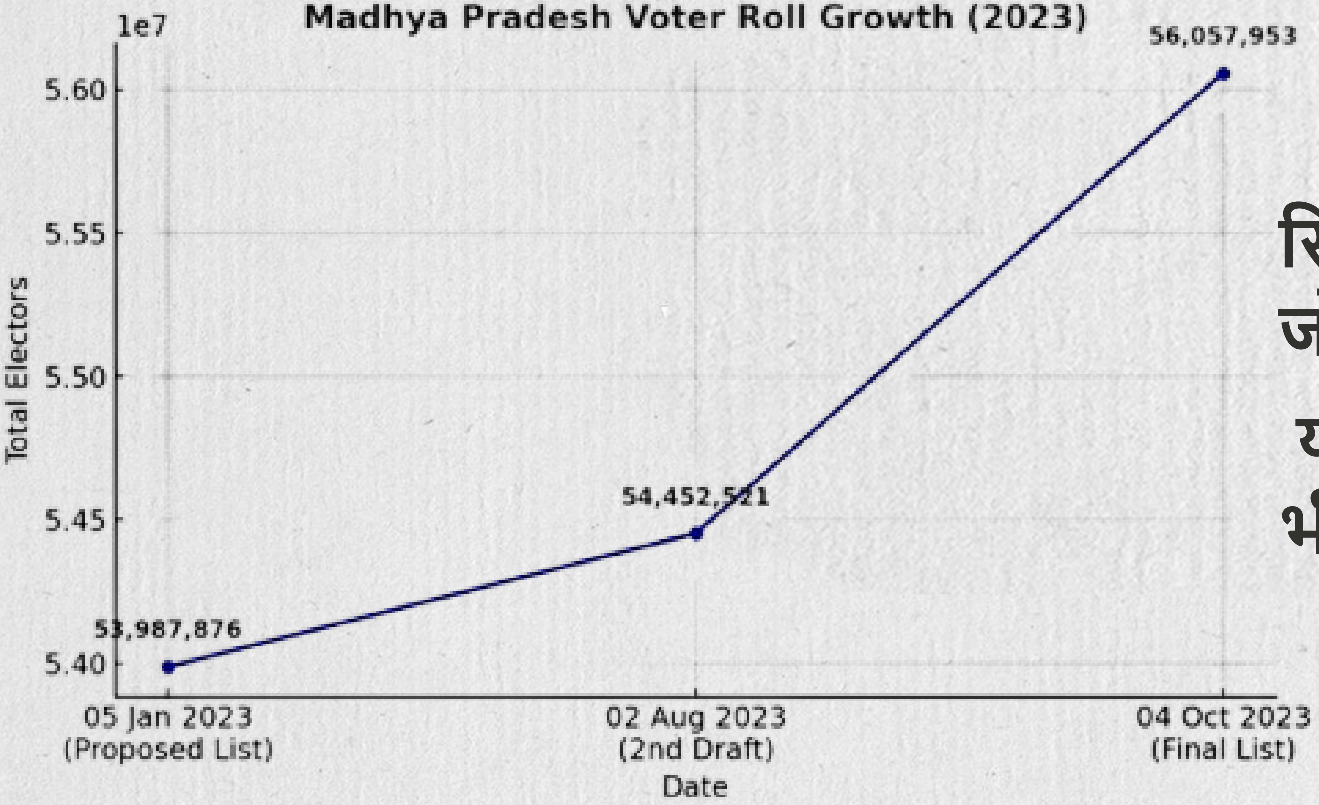

सिर्फ़ **2 महीनों में 16 लाख** से अधिक मतदाता जोड़े गए।

यानी औसतन **हर दिन लगभग 26 हज़ार** से भी ज़्यादा नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए।

By e-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No.23/2023-ERS (Vol.II) Dated: 9th June, 2023

To,

The Chief Electoral Officers of
Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana.

Reference:- (1)Commission's letter No. 23/2022-ERS(Vol.II) dated 25.07.2022,
(2) Commission's letter No. 23/Inst/2023-ERS dated 16.03.2023, and
(3) Commission's letter No. 23/2023-ERS (Vol.II) dated 24.05.2023.

Subject: Clarification on 2nd Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.10.2023 as the qualifying date in the State of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana -reg.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission vide its letter 24.05.2023 has instructed to carry out 2nd Special Summary Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.10.2023 as the qualifying date in your State. As per the schedule, the integrated draft electoral roll will be published on 2nd August, 2023 and final publication of electoral roll will be done on 4th October, 2023.

2. In this connection, to review the preparation of revision programme, VCs were held on 29th and 30th May, 2023, wherein clarifications were sought by the CEOs. Based on the discussions, the following clarifications are being issued: -

(a) All the applications (Forms 6, 7, 8 w.r.t. 01.01.2023 and 01.04.2023 as the qualifying date) received upto 30th June and advance applications with respect to 1st July as the qualifying date, shall be disposed of and updated in ER database as being done under continuous updation.

(b) A supplement consisting of all three components i.e. addition, deletion and modification shall be generated and kept in record of the EROs.

(c) These supplements shall not be put on the website or shared with anybody.

(d) The applicant/elector should be able to search his name in ER database through VHA/NVSP.

(e) The publication of updated electoral roll w.r.t. 1st July, 2023 as the qualifying date in the five poll going states shall not be done, so that pre-revision activities like rationalization of polling station etc. can be carried out before the publication of integrated draft electoral roll w.r.t. 01.10.2023.

(f) The draft publication of electoral roll shall be done after integration and amalgamation of the updated roll w.r.t. 1st April 2023 [which contains mother roll (draft roll of SSR w.r.t. 01.01.2023), supplement-1 of SSR period and supplement-2 w.r.t. 01.04.2023] and supplements generated thereafter.

(g) All advance applications w.r.t. 01.10.2023 received prior to commencement of this SSR (available in the respective bucket in ERO-Net), shall also be processed along with other claims and objections received during this revision period. ERO-Net team has been directed to make necessary provisions to this effect. (Refer para 13 of Commission's letter dated 24.05.2023)

3. All the concerned shall take note of the above and act accordingly.

Yours faithfully,

(RAJESH KUMAR SINGH)
UNDER SECRETARY

अगर सब कुछ सही था, तो पारदर्शिता से डर क्यों?

(c) These supplements shall not be put on the website or shared with anybody

भारत निर्वाचन आयोग ने 9 जून 2023 को छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान और तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश जारी कर, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया (Point No. 2(c)) में कि मतदाता सूची में हुए बदलाव — जोड़, काट और संशोधन

- **न तो वेबसाइट पर डाले जाएँ और**
- **न ही किसी के साथ साझा किए जाएँ।**

यह आदेश 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच प्राप्त प्रविष्टियों पर लागू था।

By e-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No.23/2023-ERS (Vol. III) Dated: 9th June, 2023

To,

The Chief Electoral Officers
of all States/UTs
(except Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana)

Reference:- (1) Commission's letter No. 23/Inst/2023-ERS dated 16.03.2023, and
(2) Commission's letter No. 23/2023-ERS (Vol. III) dated 29.05.2023.

Subject: Clarification on Special Summary Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2024 as the qualifying date -reg.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission vide its letter 29.05.2023 has instructed to carry out Special Summary Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2024 as the qualifying date in your State. As per the schedule, the integrated draft electoral roll will be published on 17th October, 2023 and final publication of electoral roll will be done on 5th January, 2024.

2. In this connection, to assess the preparation of revision programme, VC was held on 29th May, 2023 wherein certain clarifications were sought by the CEOs. Based on the discussions, the following clarifications are being issued: -

(a) Disposal of all applications including those advance application received w.r.t. 01.07.2023 shall be disposed of and updated roll shall be uploaded on website as per the Commission's instruction dated 16.03.2023.

(b) All the applications (Forms 6, 7, 8 w.r.t. 01.01.2023, 01.04.2023 and 01.07.2023 as the qualifying date) received upto 30th September, 2023 and advance applications with respect to 1st October, 2023 as the qualifying date, shall be disposed of and updated in ER database as being done under continuous updation.

(c) A supplement consisting of all three components i.e. addition, deletion and modification shall be generated and kept in record of the EROs.

(d) These supplements shall not be put on the website or shared with anybody.

(e) The applicant/elector should be able to search his name in ER database through VHA/NVSP.

(f) The publication of updated electoral roll on the website w.r.t. 1st October, 2023 as the qualifying date in these states shall not be done, so that pre-revision activities like rationalization of polling station etc. can be carried out before the publication of integrated draft electoral roll w.r.t. 01.01.2024

(g) The draft publication of electoral roll shall be done after integration and amalgamation of the updated roll w.r.t. 1st July 2023 [which contains mother roll (Draft roll of SSR w.r.t. 01.01.2023), Supplement-1 of SSR period, Supplement-2 w.r.t. 01.04.2023 and Supplement-3 w.r.t. 01.07.2023] and supplements generated thereafter.

(h) Before draft publication for SSR-2024, all the advance application received w.r.t. 01.10.2023 shall be processed and disposed of, so that all corresponding entries are amalgamated in draft roll. ERO-net team has been directed to make necessary provisions to this effect. (Refer para 9 of Commission's letter dated 29.05.2023)

3. All the concerned shall take note of the above and act accordingly.

Yours faithfully,

(RAJESH KUMAR SINGH)
UNDER SECRETARY

तानाशाही का फ़रमान
पाँच राज्यों तक सीमित नहीं रहा

The Chief Electoral Officers of all States/UTs

(d) These supplements shall not be put on the website or shared with anybody

9 जून 2023 को जारी आदेश केवल पाँच राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों पर भी लागू किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूची में हुए बदलाव — जोड़, काट और संशोधन:

- **न तो वेबसाइट पर डाले जाएँ और**
- **न ही किसी के साथ साझा किए जाएँ।**

यह निर्देश 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक की अवधि में प्राप्त प्रविष्टियों के लिए प्रभावी रहा।

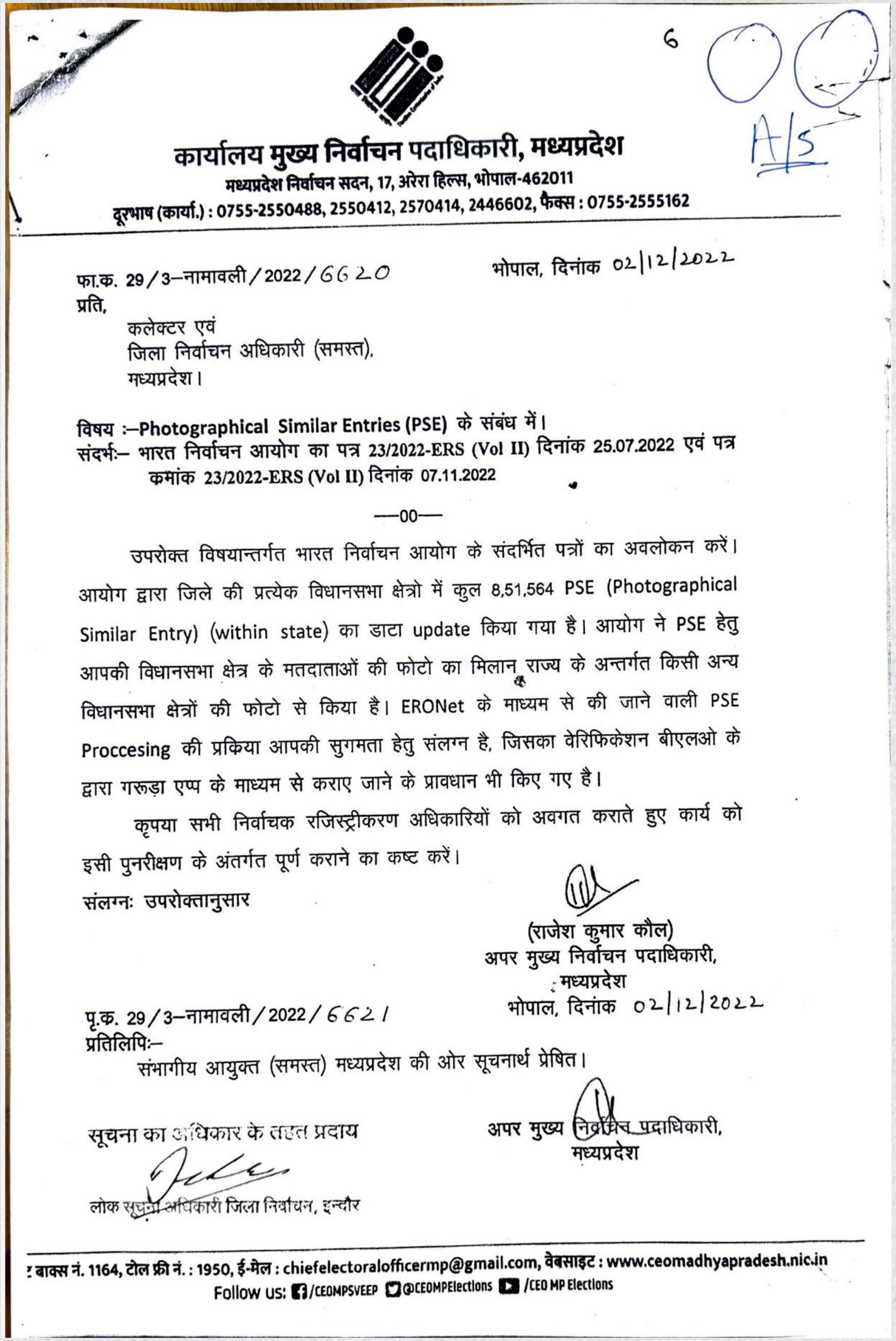

6

A/S

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष (कार्या.) : 0755-2550488, 2550412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

फा.क्र. 29/3–नामावली/2022/6620 भोपाल, दिनांक 02/12/2022

प्रति,
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त),
मध्यप्रदेश।

विषय :–Photographical Similar Entries (PSE) के संबंध में।
संदर्भः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र 23/2022-ERS (Vol II) दिनांक 25.07.2022 एवं पत्र क्रमांक 23/2022-ERS (Vol II) दिनांक 07.11.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आयोग द्वारा जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8,51,564 PSE (Photographical Similar Entry) (within state) का डाटा update किया गया है। आयोग ने PSE हेतु आपकी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की फोटो का मिलान राज्य के अन्तर्गत किसी अन्य विधानसभा क्षेत्रों की फोटो से किया है। ERONet के माध्यम से की जाने वाली PSE Proccesing की प्रकिया आपकी सुगमता हेतु संलग्न है, जिसका वेरिफिकेशन बीएलओ के द्वारा गरूड़ा एप्प के माध्यम से कराए जाने के प्रावधान भी किए गए है।

कृपया सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्य को इसी पुनरीक्षण के अंतर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 29/3–नामावली/2022/6621 भोपाल, दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपिः–
संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

सूचना का अधिकार के तहत प्रदाय
लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन, इन्दौर

बाक्स नं. 1164, टोल फ्री नं. : 1950, ई-मेल : chiefelectoralofficermp@gmail.com, वेबसाइट : www.ceomadhyapradesh.nic.in
Follow us: /CEOMPSVEEP @CEOMPElections /CEO MP Elections

8.5 लाख नकली वोटरों को हटाने का आदेश कागज़ों तक सीमित

- 2 दिसंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी ज़िलों के अधिकारियों को आदेश दिया था कि 8,51,564 नकली और डुप्लीकेट वोटरों (PSE और DSE) को मतदाता सूची से हटाया जाए।
- लेकिन आज तक किसी भी ज़िला अधिकारी ने न तो इन नकली वोटों को हटाने की रिपोर्ट दी और न ही सूचना का अधिकार (RTI) के तहत कोई जानकारी साझा की।
- RTI क़ानून साफ़ कहता है कि ऐसे रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएँ, फिर भी 'गरुड़ा ऐप' का डेटा तक छुपाया गया |

“रिकॉर्ड सुरक्षित रखना था 3 साल, आयोग ने तोड़ा नियम 32”

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में 16,05,432 नाम जोड़कर न सिर्फ़ चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, बल्कि उससे जुड़े पूरे रिकॉर्ड को भी सुरक्षित नहीं रखा।

The Registration of Electors Rules, 1960

Rule 32 – Custody and preservation of rolls and connected papers

- यह नियम कहता है कि मतदाता सूची (electoral roll) और उससे जुड़े सभी दस्तावेज़/रिकॉर्ड (जैसे फॉर्म, ऑब्जेक्शन, डिलीशन, संशोधन इत्यादि) को निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) एक निश्चित अवधि तक सुरक्षित रखेगा।
- न्यूनतम अवधि: 3 वर्ष तक इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
- इस अवधि के बाद ही इन रिकॉर्ड्स को विधि अनुसार नष्ट किया जा सकता है

2 महीने में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि बनाम नतीजों का अंतर

कई सीटों पर जहाँ भाजपा की जीत का अंतर केवल कुछ हज़ार रहा,
वहाँ 2 महीने में मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि उस अंतर से कई गुना ज़्यादा थी।

क्रमांक	विधानसभा क्रमांक	विधानसभा नाम	मतदाता (02.08.2023)	मतदाता (04.10.2023)	नतीजे का अंतर	2 महीने में बढ़े मतदाता
1	10	सेवड़ा	2,64,008	2,71,617	2,558	7,609
2	17	ग्वालियर दक्षिण	2,49,982	2,58,203	2,536	8,221
3	23	करैरा	2,54,283	2,65,207	3,103	10,924
4	34	मुंगावली	2,03,563	2,14,743	5,422	11,180
5	37	सुरखी	2,15,359	2,24,353	2,178	8,994
6	51	छतरपुर	2,15,570	2,31,702	6,967	16,132
7	59	गुनौर	2,29,386	2,32,689	1,160	3,308
8	61	चित्रकूट	2,12,446	2,19,381	6,670	6,935
9	70	तियोनथर	2,05,775	2,16,186	4,746	10,411
10	71	मऊगंज	2,15,032	2,27,888	7,171	12,856
11	75	गुढ़	2,21,622	2,32,346	2,493	10,724
12	82	धौहानी	2,36,728	2,52,112	3,221	15,384

क्रमांक	विधानसभा क्रमांक	विधानसभा नाम	मतदाता (02.08.2023)	मतदाता (04.10.2023)	नतीजे का अंतर	2 महीने में बढ़े मतदाता
13	103	शहपुरा	2,60,297	2,67,200	5,617	6,903
14	109	लांजी	2,42,045	2,48,904	2,773	6,859
17	167	शाजापुर	2,38,074	2,44,208	28	6,134
18	172	हाटपिपलिया	2,02,800	2,07,717	4,142	4,917
19	175	मांधाता	2,05,141	2,16,318	589	11,177
20	182	बड़वाह	2,26,099	2,32,062	5,499	5,963
21	191	अलीराजपुर	2,61,093	2,65,068	3,723	3,975
22	195	पेटलावद	2,81,551	2,88,592	5,647	7,041
23	200	धरमपुरी	2,11,734	2,19,383	356	7,649
24	203	देपालपुर	2,53,412	2,67,360	13,698	13,948
25	208	इंदौर-5	3,89,928	4,13,447	15,671	23,519
26	221	सैलाना	2,04,790	2,10,430	4,618	5,640
27	230	जावद	1,78,337	1,81,766	2,364	3,429

~~चुनाव आयोग~~ भाजपा की प्रेस वार्ता

(17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ़्रेंस चुनाव आयोग की नहीं, भाजपा की लग रही थी — असली सवालों से बचने के लिए गैर-ज़रूरी बातें की गईं।)

CCTV और प्राइवेसी का बहाना:
चुनाव आयोग कहता है कि CCTV फुटेज देने से मतदाता की प्राइवेसी भंग होती है। तो फिर सवाल उठता है — अगर फुटेज दिखाना ही नहीं है, तो मतदान केंद्रों पर CCTV लगाने का नाटक क्यों किया गया?

Polling Station किसी का निजी घर नहीं है कि वहाँ प्राइवेसी का बहाना लिया जाए।

संवैधानिक ड्यूटी से भागता आयोग:
आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पोलिंग एजेंट देखें, क्योंकि उन्हें लिस्ट दी जाती है। लेकिन सवाल यह है —

मतदाता सूची को पारदर्शी रखना पोलिंग एजेंट्स का काम है या खुद चुनाव आयोग की प्राथमिक ज़िम्मेदारी?

चोरी पकड़ी गई, जवाब नहीं:
राहुल गांधी जी ने जब वोट चोरी पकड़ ली, तो उम्मीद थी आयोग सच बताएगा। लेकिन जवाब देने के बजाय आयोग कह रहा है — "हलफ़नामा दो, माफ़ी माँगो।"

चोरी आप करें, सच कोई और बोले — और माफ़ी भी उसी से माँगवाएँ?

'हाउस नंबर 0' का खेल:
चुनाव आयोग कहता है कि जिनका घर नहीं है, जो सड़क पर रहते हैं, उन्हें 'हाउस नंबर 0' दे देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए — क्या कोई सरकारी पहचान पत्र 'हाउस नंबर 0' से बन सकता है? क्या आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता या सरकारी लाभ किसी को '0 पते' पर मिलते हैं?

स्पष्ट है कि 'हाउस नंबर 0' बहाना बनाकर लाखों फ़र्ज़ी नाम जोड़ दिए गए।

“गोपनीयता की आड़ में फ़ोटो वोटर लिस्ट से ग़ायब, पर योजनाओं के प्रचार में सार्वजनिक”

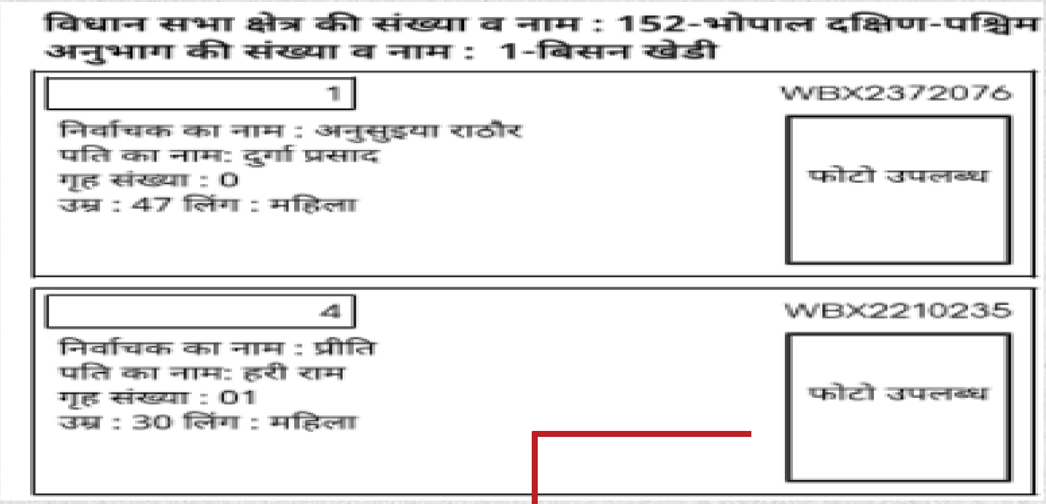

विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम : 152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम
अनुभाग की संख्या व नाम : 1-बिसन खेडी

1 — WBX2372076
निर्वाचक का नाम : अनुसुइया राठौर
पति का नाम: दुर्गा प्रसाद
गृह संख्या : 0
उम्र : 47 लिंग : महिला
फोटो उपलब्ध

4 — WBX2210235
निर्वाचक का नाम : प्रीति
पति का नाम: हरी राम
गृह संख्या : 01
उम्र : 30 लिंग : महिला
फोटो उपलब्ध

Online Voter List without Photos

- चुनाव आयोग ऑनलाइन अपलोड की गई मतदाता सूची में फ़ोटो शामिल न करने के लिए **‘गोपनीयता’ और ‘फ़ाइल साइज’** का बहाना देता है।
- लेकिन सरकार और उसके विभाग जब अपनी योजनाओं का प्रचार करते हैं, तब लाभार्थियों के फ़ोटो और वीडियो **बड़े-बड़े पब्लिक डोक्यूमेंट्स में डालकर सार्वजनिक करते हैं।**
- सवाल यह है कि क्या वहाँ गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होता?

Other Government Website With Beneficiary Photos

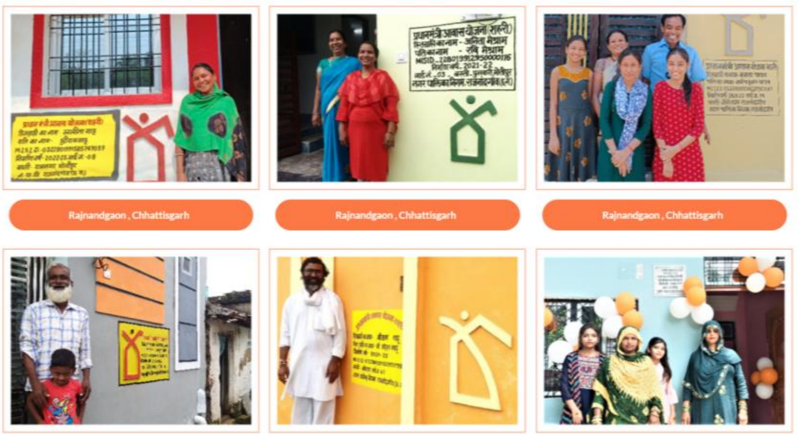

Pradhan Mantri Awas Yojna

Jal Jeevan Mission

Ujwala Yojna

गड़बड़ी छिपाने के लिए वेबसाइट बंद कर दी जाती है

ceomadhyapradesh.nic.in

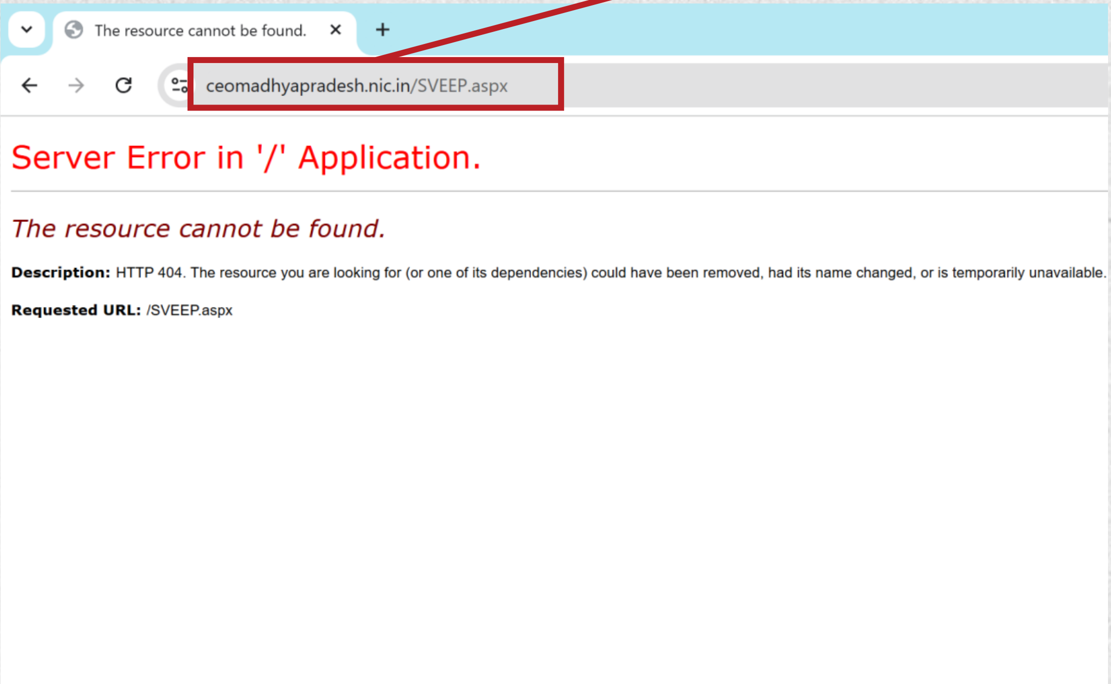

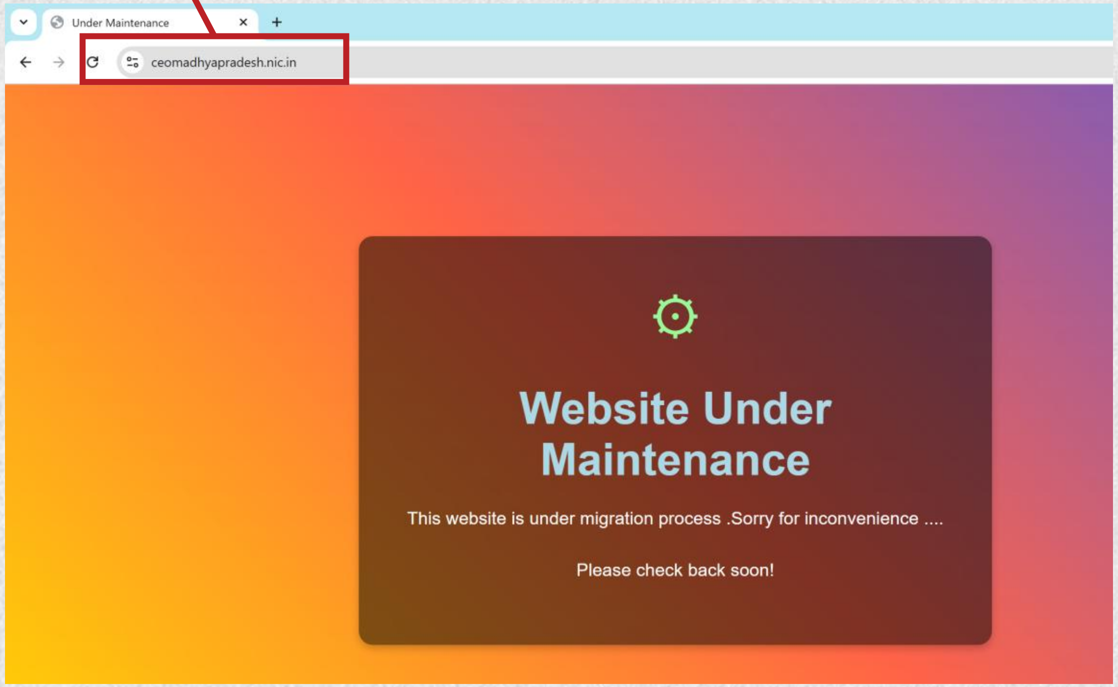

Date:17-08-2025

Date: 18-08-2025

जब भी ख़बरों में मतदाता सूची की गड़बड़ी सामने आती है, तभी **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश** की वेबसाइट अचानक बंद हो जाती है।
कभी "**Server Not Found**" का बहाना, तो कभी "**Website Under Maintenance**" का संदेश दिखा दिया जाता है।
यह तकनीकी कारण है या जानबूझकर पारदर्शिता से बचने की कोशिश? चुनाव आयोग को इस संदिग्ध रवैये पर जवाब देना चाहिए।

“मतदाता सूची में पारदर्शिता ही लोकतंत्र की गारंटी”

1. फ़ाइनल वोटर लिस्ट फ्रीज़ की जाए:

एक बार अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद, सभी राजनीतिक दलों से हस्ताक्षर लेकर इसे फ्रीज़ किया जाए। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार का बदलाव न हो। वर्तमान में चुनाव आयोग नामांकन भरने की आख़िरी तारीख तक मतदाता सूची में बदलाव करता है।

2. मतदाता सूची मशीन-रीडेबल फ़ॉर्मेट में दी जाए:

वर्तमान में चुनाव आयोग मतदाता सूची केवल PDF में देता है, वह भी नॉन-रीडेबल फॉर्मेट में। इससे डेटा को खोजना, जाँचना और विश्लेषण करना लगभग असंभव हो जाता है। हमारी माँग है कि मतदाता सूची को मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाए, ताकि राजनीतिक दल, नागरिक संगठन और आम मतदाता उसमें मौजूद गड़बड़ियों को आसानी से जाँच सकें।

3. मतदाता सूची फ़ोटो सहित प्रकाशित की जाए:

वर्तमान में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची में मतदाताओं की फ़ोटो शामिल नहीं होती। इससे डुप्लिकेट, फ़र्ज़ी और मृतक प्रविष्टियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। हमारी माँग है कि आयोग मतदाता सूची को फ़ोटो सहित प्रकाशित करे, ताकि हर मतदाता की पहचान स्पष्ट हो सके और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

4. पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए:

हर संशोधन (जोड़ने, हटाने, संशोधन) की सूची (Form 9, 10, 11) समय पर प्रकाशित की जाए। Photo Similar Entry (PSE) और Data Similar Entry (DSE) वाले सभी डुप्लीकेट वोटरों की सूची सार्वजनिक की जाए।

अगर वोट सुरक्षित नहीं,
तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं।

धन्यवाद !